			200 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
19				
	राजपत, हि नवस्बर	1005/15 75		
श के रूप	24. प्रधिस्चित लघु खनिज खानों कं समक्षा का ार्क्सा विकास कि विकास विकास विकास किया किया किया किया किया किया किया किया			
होटे भाग कि	25. जिला स्तर पर पर्यावरण पर खनन से दुषधभाव बारे जो सरकार द्वारा समिति का उपायुक्त की ब्रध्यक्षता में गठन किया गया है द्वारा यदि किसी खान की स्वीकृति से पूर्व खनन के लिए अनुमोदित न किया जाए तो उस श्रवस्था में तिथित का फीसला अस्तिम माना जाएमा ।			
जो उस नीसाई	26. सरकार द्वारा समय-समय पर जो विकी कर व ग्रन्य कर निर्धारित किए जाएं को ग्रदा करने में बोलीदाता बाध्य होंगे।			
के मामलों ।	म्प बालादाता इस निजी भूमि में उसी अवस्था में खनन करेगा जब ूमि मालिक से श्रन्नापित्त प्रमाण-पछ उच्च बोलीदाता स्राकरेगा ।			
नमन तरीकों है	m-3-अधिनियम, विधेयक और विधेयकों पर प्रवर समिति ।	हे प्रतिवेदन, वैधानिक नियम तथा	बिमान्तल प्रदेश के राज्यकाल	
1	हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, फाईनेल्शियल कमिश्नर तथा किमश्नर आफ इन्कम टैक्स द्वारा अधिसूचित आदेश इत्यादि।			
ाता बोली है	गृह विभाग	9. परिवीक्षा की ग्रवधि, यदि कोई		
जमा करवाएगा।	गृह् ।वसाग	9. पारवाकाका अवाध, याद काइ	हो दो वर्ष, जिसका एक वर्षसे श्रनधिक ऐसी शौर अविध	
श्रतिरिक्त 2	ग्रधिसूचना		के लिए विस्तार किया जा	
जमा न करवा	6		सकेगा, जैसा सक्षम प्राधि-	
	िषानला-2, 8 जुलाई, 1997		कारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों	
कती है।	मध्या गृह-वी 0 (वी 0) 3-1/96 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल,		से ग्रादेश दें।	
	लाक संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों,	10. भनीं की पद्धतिभर्ती सीधी हीर	ीया शतत्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	
	प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इधिवनता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निजी सहायक (वर्ग-111	प्रोन्निति या प्रतिनियुक्ति या		
व्या जाएगा ।	णवपितत) पद के लिए इस ग्रधिसूचना के संलग्न उपावन्ध 'ग्र'	नान्तरण द्वारा धौर विभिन्त पद्ध		
	मनुसार भर्ती एवम् प्रोन्नित नियम बनाते हैं, ग्रर्थात:	द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो प्रतिशतना ।	र्वि वि	
ाह उक्त द्वाप				
ए भविष्य ही	ा. संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भः(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, सब्ब प्रदेश, महाधिवक्ता कार्यालय में निजी सहायक (वर्ग-III	11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थान न्तरण को दशा में श्रेणियां जिस		
	जपतित) पद के भर्ती एवम प्रोन्नित नियम, 1997 है।	प्रोन्नति, प्रतिनियश्वित या स्थ	म म स, । जनका ग्रंड म ६ वर्ष  - का नियमित सेवाकाल या	
: सक्षम अधिकारी		नान्तरण किया जाएगा।	(31-3-1991) तक की गई	
	(2) ये नियम राजपन्न, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की		तदथं सेवा सहित) संगुवत 6	
	शीव से प्रवृत्त होंगे।		वर्षका नियमित सेवाकाल	
इसके अतिस्ति दिखाया गरा	श्रादेश द्वारा,		हो, प्रान्नति द्वारा ।	
	एस० एन० वर्मा,	टिप्पणी	-1. प्रोन्ति के सभी पामलों	
	ग्रायुक्त एवम सचिव ।		में पदपर नियमित नियुक्ति से पूर्वसभी तदर्शसेवा	
	Enables of soul states and		यदि कोई हो, श्रीन्नित के	
प्त होगी।	उपादन्ध 'ग्र'		लिए इन नियमों में यथा-	
61.11	महाधिवनता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में निजी सहायक		विहित सेवाकाल के लिए	
हसी प्रकार वी	(वर्ग-III अराजपत्नित) के पद के भर्ती एव प्रोन्नित नियम		इस गर्त के ग्रधीन रहते हुए गणनामें ली जाएगी कि	
			उन सभी भामलों में जिनमें	
स्वीकृति ग्राहेर	पदका नाम निजी सहायक		कोई कनिष्ठ व्यक्ति	
में ठेकेदार स	. पदों की संख्या 1 (एक)	¥	सम्भरण पद में शपने कुल	
गई प्रतिभूति			सेवाकाल (31-3-91 तक की गई कुल तदर्थ सेवा को	
	। वर्गीकरण वर्ग-III (द्वाराजपत्नित)		शामिल करके) के ग्राधार	
ग्रधिकारी/महा	. वेतनमान		पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उप-	
आवनगरा/महा	75-3000-100-3500 जमा 150		बन्धों के कारण विचार किए जाने दा पाल ही जाता है,	
	रुपये विशेष वेतन प्रति मास।		वहां उससे वरिष्ठ सभी	
टेकेदार द्वाप	. स्यन पद अथवा अचयन पद अचयन		व्यक्ति विचार किए जाने हो	
	कारण विश्व अववत् वद् अववत्		पाल समझे जाएंगे और	
दिन भूमि या	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों लागूनहीं		विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:	
यदि उन क्षेत्र	के लिए आयु।		परन्तु उन सभी पद्यक्षारियों को	
लकों से सहमित	। होब्री भर्ती किए जाने वाले लागनहीं		जिन पर शोन्नति के लिए विचार	
एकतीकरण का	बन्तियों के लिए स्रवेक्षित न्यनतम		किया जाता है, कम से कम तीन	
ं होगा, उन के एकतीकण	वैक्षिणिक ग्रीर ग्रन्य भहंताएं।		वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या	
ना विकासिका			पद के भर्ती एवं प्रोन्नति	
	मोधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों आयु: लागूनहीं किए विहित स्रायु ध्रौर शैक्षणिक	100 mg/s	नियमों में विहित सेवा जो भी कम होगी :	
ो ऐसी वार्त	परिताए प्रोन्निति की द्रणा में लाग	to an algorithms	परन्तु यह और भी कि जहां	
	रोंनी या नहीं ।	in the second	परन्तु यह आर भागक जहा गिई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की	
		The second of the second		

अपेक्षाओं के कारण पदोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात हो जाता है, वहां उससे कम्बिट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात समझा जाण्या।

जागा। ।
स्पर्श्वेकरण.— झित्तम परस्तुक के
आतांत्र किन्छ पद्मारों प्रीम्नति
के तिगा अवाज ग्यक्ति
स्वाद्में सैनिक है, जिले डिमीबिलाईजंड धामंद्र कीस्जि
परस्तोनल (रिजाईगान प्राफ् देकेन्सीन इन हिमाजल स्टिट नामटैक्नीकर कांत्रिका) इन्छ , 1972
के नियम ज के प्राच्यानों के
प्रस्तांत भरी किया गया हो, तथा
इसके अस्तांत्र वरीयता लाग दिये
गए हों या जिले एस्स-सर्विसमेन
(रिजावंगन प्राफ् के रैस्कों) इन दी
दिमाजल प्रदूष कैनीकर कितिया)
स्टब्ज, 1985 के नियम उ के
प्रत्यानों के प्रत्योत वरीयता तथा गया हो व इसक अन्तर्गत बरीयता लाभ दिए गए हो ।

टिप्पणी— 2. इसी प्रकार स्थाईकरण के शक्ती मामलों में ऐसे पट पर निय-मित नियुचित से पूर्व 31-3-1991 तक की गई तहये से ना, प्रीट कोई हो सेवाकाल के लिए गणना में ली जायेगी:

परन्तु 31-3-91 तक तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरणहोगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित

यदि विभागीय प्रोन्ति जैहा कि समय-समयपर सरकार समिति विवयान हो, तो द्वारा गठित की जाए । उसकी संरचना ?

लागू नहीं

भर्ती करने में जिन परि-स्थितियों में प्रदेश लोक सेवा श्रायोग से परामर्श किया जाए।

सीधी भर्ती किए जाने वाले लागू नहीं व्यक्तियों के लिए ग्रिपेक्षा।

- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर लागू नहीं नियुक्ति के लिए चयन ।
- 16. आरक्षण

उनत सेवा में नियुनित, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बावत जारों किए गए अनुदेशों के अधीन

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना ग्रावश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों की ग्रभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा ग्रायोग

के परामर्ण से आवेश हाए त तियमों के किन्हीं उपवारों है. किसी वर्ण या व्यक्तियों है प्रवर्ग या पदों की बाबत शिपत कर सकेगी।

[Authoritative English text of this department for the control of the constitute of India].

## HOME DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 8th July, 1997

No. Home B-(A) 3-1/96.—In exercise of the power conferred by proviso to Article 309 of the Constitute of India, the Governor of Himachal Pradesh, in cost action with the Himachal Pradesh Public Serv Commission is pleased to make the Recruitment and motion Rules for the post of Personal Assisiant, Classic (Non-Gazetted) in the Office of Advocate General Himachal Pradesh, as per Annexure 'A' attacked this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These tules my be called Office of the Advocate General, Himacol Pradesh Personal Assistant (Class-III, Non-Gazital Recruitment and Promotion Rules, 1997.

(2) These rules shall come into force from the of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh

By order,

S. N. VERMA, Commissioner-cum-Secretar

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PERSONAL ASSISTANT, CLASSI (NON-GAZETTED) IN THE OFFICE OF ADVOCATION OF THE PROPERTY OF THE P

- 1. Name of the post Personal Assistant
- 2. Number of posts
- 1 (One) 3. Classification
- 4. Scale of pay
- Rs. 2000-60-2060-70-255 75-3000-100-3500+Rs.150 S.P.
- 5. Whether selection post or non-selection post?
- 6. Age for direct recruitment.
- 7. Minimum educa-tional and other qualifications re-quired for direct recruits.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees?
- 9. Period of probation, if any.

Class-III (Non-Gazetted)

Non-selection Not applicable

Not applicable

Age: Not applicable

Method ment.—v direct rec by promo tation, tr the pero vacancies

In case of ment by p deputation grades fro promotion tion/transi be made.

द्वारा इन उपबन्धों को प्रक्तियों के बित शिथिल

Method of recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled partment -1997, as astitution

in by methods.

various

ne powers nstitution in consul-Service t and Pro-t, Class-III e General, ttached to

-Gazett

order,

VERMA, INEXURE 'A'

JLES FOR CLASS-III ADVOCATE SH

le le

applicable

by the competent autho-rity in special circum-stances and for reasons to be recorded in writing.

100% by promotion

In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion / deputation/transfer is to be made. By promotion from amongst the Senior Scale Steno-graphers who possess 6 years regular service as regular combined with continuous ad hoc (rendered upto 31-3-91) service, in the grade.

ad hoc (rendered upto 31-3-21) service, in the grade.

2.—(1) In all cases of promotion, the ad hoc service rendered in the feeded post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad hoc basis upto 31-3-91) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to the provisions referred to above, all persons senior to the interest of the deemed to be eligible for consideration and placed above the junior learning.

Provided that all incumbents

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post whichever is less:

Provided further that where a person becomes neligible to be considered for promotion on account of the requirement of the preson(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

for such promotion.

Explanation.—The last provise shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions of Rule 3 of Demosions of Rule 3 of

fit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of Ex-servisemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

—(2) Similarly, in all cases of confirmation, ad hoc service rendered on the feeder post upto 31-3-1991, if any prior to the regular appointment against such post shall be taken into accont towards the length of service:

towards the length of service:
Provided that inter-se seniority as a result of confirmation after taking into account, ad hoc service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

12. If a Departmental As m Promotion Committee exists, what is its composition?

As may be constituted by the Government from time

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

14. Essential require-ment for a direct recruitment.

Not applicable

Not applicable

Selection for appointment to post by direct recruitment.

Not applicable

16. Reservation

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Tribes/Backware Classes/Other categories of persons issued by the Imachal Pradesh Government from time to time. Not applicable

17. Departmental Examination 18. Powers to relax

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H. P. P. S. C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

गृह विभाग

ग्रधिसूचना

शिमला-2, 8 जुलाई, 1997

संक्रमा गृह-बी0 (बी0) 2-3/93.—हिमाचल प्रदेण के राज्यपाल, भारत के संस्थित के अनुकड़र 309 के परन्तक द्वारा प्रदल सर्वित्तमों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्थ से, महाधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में पुरतकाल्याध्यक्ष